सूचना का अधिकार अधिनियम

2005

धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) अनुसार जानकारी

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग

जिला – कोरिया

के

क्रियाकलाप पर विवरण

दिनांक 01/10/2016 की स्थिति में

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 की</u>

<u>उप–धारा (1) के खण्ड (बी)</u>

छत्तीसगढ़ राज्य में आबकारी विभाग के क्रियाकलाप पर विवरण

(01) संरचना, कार्य एवं कर्तव्य (Organisation, Functions and Duties) :– छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस विभाग के द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित मदों से राजस्व प्राप्त होता है :–

(1) आबकारी

(2) मनोरंजनकर

(a) जिला स्तरीय संरचना (Organisation) :– जिला कोरिया में आबकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं कार्यरत पद निम्नानुसार हैः–

क्र	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
(अ)	**द्वितीय श्रेणी**				
1	जिला आबकारी अधिकारी	01	**01**	-	15600-39100
2	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	01	**01**	-	**9300-34800**
(ब)	**तृतीय श्रेणी कार्यपालिक**				
3	आबकारी उप निरीक्षक	05	**03**	-02	**5200-20200**
4	मुख्य आरक्षक	03	**01**	-02	5200-20200
5	आरक्षक	12	**14**	+02	5200-20200
(स)	**तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय एवं अन्य**				
6	लेखापाल	01	**01**	-	5200-20200
7	सहायक ग्रेड–2	01	-	-01	5200-20200
8	सहायक ग्रेड–3	03	**01**	-02	5200-20200
9	वाहन चालक	01	-	-01	5200-20200
(द)	**चतुर्थ श्रेणी**				
10	भृत्य	07	**15**	+08	4750-7440
11	चौकीदार	01	**02**	+01	4750-7440
	योग	36	**39**		

(b) आबकारी विभाग का कार्य एवं कर्तव्य (Functions & Duties) :– विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:–

1. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी कर आवेदन शुल्क, लायसेंस फीस एवं ड्यूटी के रूप में राजस्व अर्जित करना।
2. देशी/विदेशी मदिरा के थोक लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
3. देशी/विदेशी मदिरा, निर्माण एवं बॉटलिंग हेतु लायसेंस देकर लायसेंस फीस एवं बॉटलिंग फीस अर्जित करना।
4. देशी/विदेशी मदिरा के आयात/निर्यात की स्वीकृति दी जाकर, आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना।
5. देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग के फुटकर लायसेंसियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर शास्ति/संधान राशि आरोपित कर राजस्व अर्जित करना।
6. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों एवं वीडियो सेन्टर से मनोरंजन शुल्क प्राप्त करना, केबल आपरेटरों/होटल केबल/डी.टी.एच. आपरेटर से मनोरंजन शुल्क प्राप्त करना एवं अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों से मनोरंजन शुल्क प्राप्त कर राजस्व अर्जित करना।
7. मेडीशनल एण्ड टायलेट प्रिप्रेशन नियम के अन्तर्गत लायसेंस जारी कर लायसेंस फीस के रूप में राजस्व अर्जित करना।
8. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अवैध मदिरा निर्माण, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय, अवैध धारण के प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी कर जाँच करने पर अपराधी के विरूद्ध कायम आपराधिक प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा लायसेंसी के विरूद्ध पाई गई विभागीय अनियमितताओं हेतु विभागीय प्रकरण दर्ज कर विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना ।
9. मनोरंजनकर अधिनियम के अन्तर्गत छविगृहों, वीडियो सेन्टर एवं मनोरंजन के अन्य कार्यक्रमों, जिसमें मनोरंजन कर देय है, की जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर, विभागीय प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति आरोपित करना एवं न्यायालयीन प्रकरणों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।

10. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस.) के अन्तर्गत मादक पदार्थों की अवैध खेती, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध धारण की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी ली जाकर या जाँच कर पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।

11. विभाग में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 छ.ग. मनोरंजनकर अधिनियम, 1936 एवं एन.डी.पी.एस अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत होने वाले अपराधों पर उचित नियंत्रण रखकर आबकारी एवं मनोरंजन कर राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करना है।

(02) <u>जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारी के अधिकार एवं कर्तव्य</u> :– आबकारी विभाग में जिलास्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य पदवार निम्नानुसार है।

<u>(a) कलेक्टर (आबकारी)</u> :– जिला स्तर पर कलेक्टर (आबकारी) प्रशासन के प्रमुख हैं। आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें निम्नानुसार अधिकार प्राप्त हैं :–

1. किसी–भी मादक द्रव्य के निर्माण स्थल एवं विक्रय स्थल पर किसी–भी समय प्रवेश कर निरीक्षण करने का अधिकार।
2. देशी/विदेशी मदिरा, भांग के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस जारी करने का अधिकार।
3. मादक पदार्थों के आयात, निर्यात एवं परिवहन हेतु पास जारी करने का अधिकार।
4. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय की दुकानों को लोक शांति हेतु निश्चित् समय के लिए बंद करने का अधिकार।
5. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय के लिए जारी किए गए लायसेंसों को निलंबित करने या निरस्त करने का अधिकार है।
6. मादक पदार्थों के फुटकर विक्रय हेतु जारी किए गए लायसेंसों के लायसेंसियों द्वारा लायसेंस शर्तों के उलंघन पर दर्ज किए गए प्रकरणों में संधान राशि/शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार।
7. **5 लीटर** से अधिक देशी/विदेशी मदिरा अथवा किसी भी मदिरा के अवैध धारण/परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर मदिरा एवं वाहन को राजसात करने का अधिकार।